**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या:2286**
**दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं**

**2286. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त रूप से देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए किसी राष्ट्रीय नीति को लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) देश के प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में योग्य मनोचिकित्सकों तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने तथा अभिभावकों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख) मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।

डीएमएचपी के तहत, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए लक्षित पहलें की जाती हैं। लक्षित पहलों के अंतर्गत, देश भर के जिलों में स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा एवं परामर्श, कॉलेज शिक्षकों का परामर्शदाता के रूप में कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित स्कूल से निकल जाने वाले बच्चों का परामर्श/किशोर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.8 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसीज़) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा पैकेजों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल की गई हैं। "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" को आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत एक समर्पित मॉड्यूल के रूप में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण एम्बैसडरों (शिक्षकों) को

कार्यक्रम के अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता हैं वे छात्रों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करते हैं और आनंददायक ढंग में सीखने को बढ़ावा देने वाले साप्ताहिक सत्रों के माध्यम से संदेशों को फैलाते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) अपनी पहलों जैसे कि किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य और कल्याण दिवस (एएचएंडडब्ल्यूडी) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करता है और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। सहकर्मी शिक्षक समुदाय में 15-20 लड़के और लड़कियों के समूह बनाते हैं और किशोर स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है, पर सप्ताह में एक से दो घंटे सहभागी सत्र आयोजित करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'मनोदर्पण' नामक एक पहल शुरू की है। मनोदर्पण पहल के तहत की जाने वाली सभी गतिविधियों का लक्ष्य स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, जिनमें प्रतिरोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल हैं, के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सहायता करना हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 27.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 42 लाख से अधिक कॉलों को हैंडल किया गया।

शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीएसई ने दिनांक 19.01.2026 की अधिसूचना के माध्यम से विद्यालयों में संरचित दोहरे परामर्शदाता मोड के तहत परामर्शी ढांचे को सुदृढ़ किया है। इस ढांचे के अंतर्गत, विद्यालयों को छात्रों की मनोसामाजिक एवं करियर-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी होगी:

i. परामर्श एवं कल्याण शिक्षक (सामाजिक-भावनात्मक परामर्शदाता)
ii. कैरियर परामर्शदाता।

सीबीएसई ने स्कूल-आधारित परामर्श सहायता को सुदृढ़ करने के लिए काउंसलिंग हब और स्पोके स्कूल मॉडल भी लागू किया है और सक्रिय अभिभावक-विद्यालय सहभागिता के माध्यम से छात्रों की सामाजिक-भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर प्रस्तुत किया है।

****